भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3141

जिसका उत्तर 30.03.2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग स्कैनर का काम न करना

3141. चौधरी सुखराम सिंह यादव:

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई मौकों पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए गए स्कैनर काम नहीं करते जिसके कारण एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) क्या सरकार टोल प्लाजा बंद करके वन टाइम रोड टैक्स लेने पर विचार करेगी, ताकि ऐसी समस्याओं का समाधान हो सके?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) शुल्क प्लाजा लेन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) रीडर्स को वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगे टैग को संसाधित करने/पढ़ने में सामान्य से अधिक समय लगने के कुछ उदाहरण हैं। कुछ सामान्य कारण निम्नानुसार हैं:-

(i) इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या।

(ii) फास्टैग एंटीना को क्षति।

(iii) रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) उपकरण से संबंधित समस्याएं।

(iv) प्रयोक्ता द्वारा फास्टैग को गलत तरीके से लगाना।

(ख) ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

(i) वास्तविक समय के आधार पर लेन-देन की प्रक्रिया के लिए बैकएंड सिस्टम का उन्नयन, जिसके कारण ब्लैकलिस्ट और व्हाइट लिस्ट की प्रक्रिया सुचारू की गई है।

(ii) एक इंटरनेट बंद होने की स्थिति में, बाहुल्यता को बनाए रखने के लिए विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की न्यूनतम दो इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रावधान

(iii) इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) उपकरण के अधिकतम अपटाइम को सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरण और क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) रीडर, कंट्रोलर आदि जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की सख्त निगरानी

(iv) पात्रता मानदंड के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली का सिस्टम इंटिग्रेटर्स को सूची में सम्मिलित करना शुरू किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली को केवल योग्य सिस्टम इंटीग्रेटर से ही लागू किया जा सकता है। ऐसे सिस्टम इंटीग्रेटर्स वर्ष में कम से कम एक बार मानक परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)/कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी) के पैनलबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से अपने टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) सॉफ्टवेयर का सिस्टम ऑडिट करेंगे और उसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) / भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) को जमा करेंगे।

(v) इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली और प्रचालन की कार्यक्षमता की जांच करने के लिए शुल्क प्लाजा पर बार-बार औचक निरीक्षण

(vi) विंडशील्ड पर फास्टैग लगाने की प्रक्रिया के लिए नीतिगत परिपत्र जारी करना

(vii) बेहतर सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी) कार्यक्रम के तहत सेवा प्रदाताओं (सिस्टम इंटीग्रेटर, अधिग्रहणकर्ता बैंक और जारीकर्ता बैंक) के लिए सख्त सेवा विधि समझौता (एसएलए) मानदंड

(viii) इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली के विनिर्देशों में आवश्यकतानुसार नियमित अद्यतन।

(ग) जी, नहीं।

*****